

स्नातकोत्तर पत्रोपाधि (एक वर्षीय) द्वितीय सेमेस्टर नियमित परीक्षा 2020-21

कूट क्र.- यश-416

विषय - साइबर कानून

प्रश्नपत्र - साइबर अपराध अन्वेषण

अधिकतम समय-3 घण्टे

अधिकतम अंक- 70

उत्तीर्णांक- 28

- आवश्यक निर्देश:-
1. प्रश्न पत्र तीन खण्डों में विभक्त है।
 2. प्रत्येक खण्ड का प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है।
 3. प्रत्येक खण्ड के सामने प्रश्नों के अंक दर्शाये गए हैं।
 4. खण्ड "ब" एवं "स" में प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं।

खण्ड-अ

(वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

कुल अंक 10x1=10

प्रश्न-1 दिये गये विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर लिखें -

- i. साइबर अपराध अन्वेषण से संबंधित प्रमुख विधि है -
 - (अ) भारतीय साइबरविधि 2011
 - (ब) भारतीय संविदा विधि 1872
 - (स) प्रौद्योगिकी विधि 2020
 - (द) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000
- ii. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत साइबरअपराध की अधिकतम सजा है-
 - (अ) 5 वर्ष का कारावास तथा 5 लाख
 - (ब) 10 वर्ष कारावास तथा एक करोड़ तक की क्षतिपूर्ति
 - (स) 7 वर्ष का कारावास
 - (द) ब्राजील
- iii. साइबर स्पेस क्षेत्राधिकार की सीमा है -
 - (अ) सिविल विधि
 - (ब) आपराधिक विधि
 - (स) उपर्युक्त दोनों
 - (द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- iv. साइबर स्पेस क्षेत्राधिकार कौन-सा है -
 - (अ) क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार
 - (ब) क्षेत्रातीत क्षेत्राधिकार
 - (स) उपर्युक्त दोनों
 - (द) उपरोक्त में से कोई नहीं

- v. साइबर अपराध अन्वेषण सेल का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है -
 (अ) आगरा (ब) बैंगलौर
 (स) दिल्ली (द) भोपाल
- vi. साइबर अपराध की जाँच कब शुरू होती है -
 (अ) साइबर सेल से अनुमति मिलने के बाद
 (ब) वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अनुमति से
 (स) संज्ञेय अपराध के मामले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद
 (द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- vii. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की नियुक्ति संबंधित प्रावधान -
 (अ) धारा 17 भारतीय रण संहिता, 1860
 (ब) धारा 20 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
 (स) धारा 6 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
 (द) धारा 79 अ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000
- viii. इलेक्ट्रॉनिक्स अभिलेखों की ग्राह्यता से संबंधित प्रावधान -
 (अ) धारा 65 ब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
 (ब) धारा 20 ब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
 (स) धारा 28 ब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
 (द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- ix. न्याय निर्णायक अधिकारी की न्यायनिर्णयन करने की शक्ति किस धारा में दी गई है -
 (अ) धारा 14 (ब) धारा 15
 (स) धारा 46 (द) उपरोक्त में से कोई नहीं
- x. किस अधिकारी का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी करने का लाईसेंस दिया गया है -
 (अ) प्रमाणक अधिकारी (ब) निर्णायक अधिकारी
 (स) निजी प्राधिकरण (द) उपर्युक्त सभी

खण्ड-ब

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

कुल अंक 5x3=15

निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए -

प्रश्न-2 साइबर अपराध अन्वेषण से आप क्या समझते हैं ?

अथवा

साइबर अपराध अन्वेषण की प्रक्रिया जटील है। समझाइए।

प्रश्न-3 साइबरस्पेस क्षेत्राधिकार की क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारिता समझाइए।

अथवा

साइबर स्पेस क्षेत्राधिकार की क्षेत्रातीत क्षेत्राधिकारिता समझाइए।

प्रश्न-4 'भारत में किए गए साइबर अपराध' पर टिप्पणी लिखे।

अथवा

भारत से बाहर किए गए साइबर अपराध के अन्वेषण संबंधित प्रक्रिया समझाइए।

प्रश्न-5 साइबर अपराध अन्वेषण प्रक्रिया में साइबर फॉरेंसिक लैब की भूमिका समझाइए।

अथवा

साइबर विशेषज्ञ के कार्य बताइए।

प्रश्न-6 प्रमाणक अधिकारी के कार्य और शक्तियाँ बताइए।

अथवा

न्याय निर्णायक अधिकारी की भूमिका एवं मुख्य कार्य बताइए।

खण्ड-स

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

कुल अंक 5x9=45

निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 400 शब्दों में दीजिए -

प्रश्न-7 साइबर अपराध अन्वेषण से संबंधित सिद्धांतों का विस्तृत विवरण दीजिए।

अथवा

साइबर अपराध अन्वेषण की संकल्पना को समझाइए। इसके अन्वेषण की प्रक्रिया को बताइए।

प्रश्न-8 सूचना तकनीकी कानून 2000 के अंतर्गत साइबर स्पेस में क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधान बताइए।

अथवा

साइबर स्पेस क्षेत्राधिकार को समझाते हुए इसके विभिन्न प्रकार बताइए।

प्रश्न-9 “साइबर अपराधों के अन्वेषण का क्षेत्राधिकार असीमित है।” उपरोक्त कथन की व्याख्या कीजिए।

अथवा

“क्षेत्राधिकार वह सीमा है जिसके अंतर्गत अन्वेषण को कार्यान्वित किया जाता है। उपरोक्त कथन के आधार पर साइबर अपराध के अन्वेषण का क्षेत्राधिकार को समझाइए।

प्रश्न-10 “पुलिस की साइबर अपराध अन्वेषण प्रक्रिया में मुख्य भूमिका होती है।” स्पष्ट कीजिए।

अथवा

डिजीटल साक्ष्य क्या है? इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए इससे संबंधित विधिक प्रावधान समझाइए।

प्रश्न-11 साइबर विनियम अपीलिय अधिकरण के गठन, शक्तियाँ एवं कार्यों की विवेचना कीजिए।

अथवा

साइबर अपराध की रोकथाम में न्यायालय की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।

--00--